103/22
23/12/22

फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

डॉ0 आर0के0 जाटव बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 103 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2022	प्रार्थी / अपीलान्ट डॉ0 आर0के0 जाटव पुत्र धीराराम 152 दीनदयाल नगर आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला प्रमुख, जिला परिषद, भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही जिला प्रमुख, जिला परिषद, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)	39 11/1/23